न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

तारीख रजू. 25.10.2011

मु. नं. 178/2011

उनवान

ी दिगम्बर जैन मुमुक्ष महिला आश्रम (कृष्णा वाई आश्रम) श्री महावीरजी जरिये अध्यक्ष ीचन्द जैन पुत्र जयचन्द जैन जाति जैन निवासी श्रीमहावीरजी तह. हिण्डौन जिला करौली

—वादी

बनाव

1. निरन्जन पुत्र पुखराज
2. राहुल पत्र हंसराज
3. हंसराम पुत्र पुखराज

} जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

4. जानकी
5. कज्जादेवी

} पुत्रीगण लोहडे

6. जीतराम
7. बल्ला

} पिसरान लोहडे

} जातियान गुर्जर निवासी अकबरपुर श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

19.07.2019 पत्रावली पेश हुई वादी व वादी वकील उपस्थित नही है। वकील प्रतिबादी उपस्थित है। वकील प्रतिवादी ने बताया गया है कि वादी श्रीचन्द जैन फोत होना जाहिर किया है एवं मोतविरान अभिभाषकगणो ने अवगत कराया गया है कि वादी वकील श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा काफी अर्सा पूर्व फोत हो गये है। वार—बार रूक—रूक कर वादी को आवाज दिलाई गई किन्तु वादी की ओर से ना तो कोई अभिभाषक उपस्थित आया है ना ही वादी की ओर से कोई उपस्थित आया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की वकील प्रतिवादी द्वारा अपने जवाव दावा में किसी प्रकार का प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) नही चाहा गया है। जब वादी की ओर से कोई भी पैरवी नही कर रहा है एवं प्रतिवादी द्वारा कोई काउण्टर क्लेम नही चाहा है तो इस प्रकरण को आगे चलाया जाना उचित नही है।

अतः वादी का दावा धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली
हिण्डौन

Scanned by CamScanner